

✕

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रभाषी कक्षा 27 से 027



क्रमांक/अका./2016/947

जबलपुर, दिनांक : 26/04/2016

अधिसूचना

सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति की 90वीं बैठक दिनांक 26/06/2015 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रचलित अध्यादेशों/परिनियम में संशोधन को मान्य करते हुये अन्य समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्य करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19/02/2016 के पद क्रमांक 20 में स्वीकृति उपरांत निम्नानुसार अध्यादेशों/परिनियम (संलग्न) को अंगीकृत किया जाता है :-

क्र०	अध्यादेश/परिनियम	क्र. अध्यादेश/परिनियम का नाम
1.	अध्यादेश 4 एवं 4बी	संशोधित अध्यादेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु नवीन प्रुनरीक्षित वेतनमान।
2.	अध्यादेश 28	सी.सी.ए.
3.	अध्यादेश 104	एम.पी.एड.
4.	अध्यादेश 42	एम.एड.
5.	अध्यादेश 16	पीएच-डी. संशोधित
6.	अध्यादेश 223	बी.वोक
7.	परिनियम 27	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2012 के अनुसार संशोधन

संलग्न- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार,

[Signature]

कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 26/04/2016

978
27/04/2016

पू० क्रमांक/अका./2016/947 "अ"

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अधिकारीगण, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यगण।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
4. प्रभारी विधि प्रकोष्ठ, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
5. विशेष कर्तव्य अधिकारी, समन्वय समिति, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल।

[Signature]
[Signature]

